**राजस्थान सरकार**

**वित्त (व्यय) विभाग**

**क्रमांक प.8 (4) वित्त/व्यय-4/2024** **जयपुर, दिनांक** 31.03.2026 07.04.2026

**आदेश**

**विषय : District Mineral Foundation Trust (DMFT) फण्ड के समस्त पी.डी. खातों में जमा राशि की निकासी (Withdrawal) के संबंध में।**

**संदर्भ : वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्र क्रमांक प.8(4) विमा./2021/ पार्ट जयपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2022, 12 अगस्त 2024 व 29 मार्च, 2025**

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों द्वारा District Mineral Foundation Trust (DMFT) के मुख्यालय एवं सभी जिलों के पी.डी. खातों में जमा राशि के अंतर्गत स्वीकृति एवं भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। DMFT के अंतर्गत स्वीकृति एवं भुगतान हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की निरंतरता में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. DMFT फण्ड से वचनबद्ध दायित्वों (committed liability) का नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।
2. वचनबद्ध दायित्वों के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत केवल उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जा सकेगा, जिनके कार्यादेश जारी किये जाकर कार्य दिनांक 12.08.2024 से पूर्व प्रारम्भ किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से पूर्व में अनुमत कार्यक्रम (यथा Silicosis Rehab) भी वचनबद्ध दायित्वों में सम्मिलित होंगे।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 (लेखानुदान सहित), 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं से संबंधित कार्य जो DMFT के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हो, ऐसे कार्यों की नियमानुसार स्वीकृति एवं भुगतान किया जा सकेगा।
4. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में DMFT नियमों के अंतर्गत अनुज्ञेय कार्यों का भुगतान किया जा सकेगा।

बिंदु संख्या 1,2,3 एवं 4 के अतिरिक्त मदों में स्वीकृति/भुगतान करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

31.3.26

**(डॉ. टीना सोनी)**
**शासन सचिव, वित्त (व्यय)**

**प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. अति.मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव राजस्थान
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी।
9. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

(देवेन्द्र अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव